रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 1975/माघ 25, 1896

No. 66] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 1975/MAGHA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 14th February 1975

S.O. 94(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. G.S.R. 492, dated the 22nd April, 1960, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (i) These rules may be called the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from payment of Additional Excise Duty on certain varieties of cloth) Rules, 1975.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of February, 1973.

2. **Exemption from payment of Duty on certain varieties of cloth :**

(i) "Fents" that is to say,—

(a) bonafide cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more and of length 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;

(b) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) or length 45 cetimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metres; and

(c) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged-dhoties or sarees.

(ii) Cotton, silk and rayon or artificial silk fabrics produced by the factories working under the special procedure prescribed in Section E-III of Chapter V of the Central Excise Rules, 1944;

shall be exempt from the Additional Excise Duty leviable thereon under the said Act.

[No. 15012/4/72/TEX.IV]

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1975

का० आ० 94(अ).—खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (रु) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 492, तारीख 22 अप्रैल, 1960 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (रेयन तथा कृत्रिम रेशम के कपड़ों की कतिपय किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1975 है ।

(ii) ये 15 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. **कपड़ की कतिपय किस्मों पर शुल्क के संदाय से छूट :**

(i) "टुकड़े" अर्थात्,—

(क) विनिर्माण करने (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूना तैयार करने के सामान्य प्रक्रम के दौरान निकलने वाले सूती कपड़ों के ऐसे वास्तविक कटपीस (तौलियों के कटपीसों को छोड़ कर) जो, जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, लम्बाई में 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक हैं और जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो, लम्बाई में 65 सेंटीमीटर हैं;

(ख) ऐसे क्षत सूती कपड़े (क्षत तौलियों को छोड़ कर) जो, जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, लम्बाई में 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक हैं और जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो, लम्बाई में 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक हैं; और

(ग) क्षत धोतियों या साड़ियों से काटे गए ऐसे कटपीस जो, जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो लम्बाई में 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं, किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक हैं और जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो, लम्बाई में 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक हैं ;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 5 के खण्ड ङ–3 में विहित विशेष प्रक्रिया के अधीन काम कर रहे कारखानों द्वारा उत्पादित सूती, रेशमी और रेयन या कृत्रिम रेशमी कपड़े ;

उक्त अधिनियम के अधीन उनपर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होंगे ।

[सं० 15012/4/72/टी ई एक्स–4]

S.O. 95(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of section 5 of the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendment in the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from Payment of Additional Excise Duty on certain varieties of Rayon and artificial silk fabrics) Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from payment of Additional Excise Duty on certain varieties of rayon and artificial silk fabrics) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of February, 1973.

2. For rule 2 of the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from payment of Additional Excise Duty on certain varieties of rayon and artificial silk fabrics) Rules, 1973, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. **Exemption from payment of duty.**—Fents, that is to say—

(a) bonafide cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabrics is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabrics is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

(b) damaged rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres or more where the width of the fabric is less than one metre;

shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act 1953 (12 of 1953)".

[No. 15012/4/72/TEX.IV]

MANI NARAYANSWAMI, Jt. Secy.

का० आ० 95(अ).—खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (रेयन तथा कृत्रिम रेशम के कपड़ों की कतिपय किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (रेयन तथा कृत्रिम रेशम के कपड़ों की कतिपय किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये 15 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (रेयन तथा कृत्रिम रेशम के कपड़ों की कतिपय किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1973 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. **शुल्क के संदाय से छूट**.—टुकड़े, अर्थात्—

(क) विनिर्माण करने (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूना तैयार करने के सामान्य प्रक्रम के दौरान निकलने वाले रेयन अथवा कृत्रिम रेशम के कपड़ों के ऐसे वास्तविक कटपीस जो, जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, लम्बाई में 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक हैं और जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो, लम्बाई में 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक हैं; और

(ख) ऐसे क्षत रेयन या कृत्रिम रेशम के कपड़े जो, जहां कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो, लम्बाई में 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक हैं ;

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) के अधीन उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होंगे ।"

[सं० 15012/4/72/टी ई एक्स-4]

मणि नारायणस्वामी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975